कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 22 / 2023

श्री सिरमौहर सिंह गुर्जर, गली न.6 तिलक नगर भरतपुर जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नदबई जिला भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 28.6.2023**

अपीलार्थी श्री सिरमौहर सिंह गुर्जर, गली न.6 तिलक नगर भरतपुर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम के तहत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 17–3–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नदबई से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 381 दिनांक 8.6.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी डीग से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नदबई से कोई जबाब प्राप्त नही हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 17.3.23 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नदबई से सूचना चाही गई थी, इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नदबई से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी नदबई निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई चाही गई वांछित सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। आदेश की

......2

अपील / आरटीआई / 22 / 2023
सिरमोहर सिंह बनाम एस.डी.ओ. नदबई

प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एस. डीओ. नदबई को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर